

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र : 230/2020

निर्णय दिनांक : 22.08.2024

1. बिरदीचन्द
2. हरिनारायण
3. लक्ष्मीनारायण
4. गोपाल
5. श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व० भौरीलाल
6. शिवशंकर
7. कैलाश
8. ओमप्रकाश
9. विष्णु
10. गिर्राज

पुत्रान् स्व० श्री रामनाथ

पुत्रान् स्व० श्री भौरीलाल
जातियान हरियाणा ब्राह्मण निवासीयान सैक्टर 3, प्रताप नगर, टोंक रोड, बम्बाला
तह० सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत् रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955

निर्णय

वादीगण की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 74 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.36 हैक्टयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.41 हैक्टयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 491/1137 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.1 हैक्टयर, खसरा नम्बर 593 रकबा 0.09 हैक्टयर कुल किता 22 कुल रकबा 5.23 हैक्टयर ग्राम बम्बाला, पटवार हल्का श्योपुर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित है।



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वादीगण के उक्त हाल खसरा नम्बर के गत खसरा नम्बर 243 रकवा 15 विस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 83 रकवा 0.16 हैक्टयर व खसरा नम्बर 86 रकवा 0.04 हैक्टयर बने, गत खसरा नम्बर 239/640 रकवा 4 विस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 90 रकवा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकवा 0.04 हैक्टयर बने एवं गत खसरा नम्बर 239 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 85 रकवा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकवा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकवा 36 हैक्टयर बने है। भू-प्रवन्ध कार्यवाही से पूर्व से ही वादीगण ने गत खसरा नम्बर 239, 239/640, 243 से बने हाल खसरा नम्बर 86 रकवा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकवा 20 हैक्टयर है जिसमे अपने मकानात बना रखे थे तथा उक्त भूमि आवासीय उपयोग मे चली आ रही थी वादीगण के हक पूर्वाधिकारी ने सब सहायक भू-प्रवन्ध अधिकारी सांगानेर जयपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय भू-प्रवन्ध अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 20-03-87 के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 86 रकवा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकवा 20 हैक्टयर को आवादी मे दर्ज किये जाने के आदेश फरमा दिये। उक्त आदेश के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान को खतोनी बन्दोवस्त मे आवादी अंकित कर दिया गया। दौराने भू-प्रवन्ध कार्यवाही भू-प्रवन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी अधिकारिता से बाहर उक्त उक्त खसरा नम्बर 86 रकवा 0.04 हैक्टयर की किस्म चाही 1 व जाव । एवं खसरा नम्बर 87 रकवा 20 हैक्टयर की किस्म चाही 1 व जाव 1 दर्ज कर दिया गया जिसका भू-प्रवन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों को कोई अधिकार हांसिल नही था। वादीगण द्वारा जब हाल राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 7/9/2020 को प्राप्त की तब वादीगण को उक्त तथ्य की जानकारी हुई जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी तहसीलदार तहसील सांगानेर को उक्त दुरुस्ती करने वावत निवेदन किया जिस पर उन्होंने हिदायत दी इसके लिए आपको सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करने होगी इस कारण वादीगण को यह वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। दौराने भू-प्रवन्ध कार्यवाही भू-प्रवन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों को राईट्स आफ रिकार्ड मे फेरवदल करने का कोई कानूनी अधिकार हांसिल नही हैं। इसलिए वादीगण अधिकारी हैं कि वह माननीय न्यायालय के जरिये उक्त हाल उक्त खसरा नम्बर 86 रकवा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकवा 20 हैक्टयर मे पुनः आवादी दर्ज करवा कर रिकार्ड दुरुस्ती करवाने का अधिकारी है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वाद पत्र को निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :-

क. प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि वादीगण के हाल खसरा नम्बर 86 रकवा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकवा 20 हैक्टयर की किस्म पुनः आवादी दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्ती की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी तहसीलदार सांगानेर ने वाद में जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो पत्रावली में शामिल गिसल है। तहसीलदार सांगानेर ने पेश जवाब में अंकित किया कि मुताबिक वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074-77 (वर्ष 2019) के खाता संख्या 109 खसरा नंबर 86,87 वगैरह किता 22 रकबा 5.23 हेक्टेयर की खातेदारी विष्णु, ओमप्रकाश, गिराज शिवशंकर पि. भौरीलाल, रामप्यारी देवी पत्नी भौरीलाल हिस्सा 1/6, गोपाल, बिरदीचंद, लक्ष्मीनारायण, हरिनारायण पि. रामनाथ हिस्सा 2/3 रामनाथ पु. महादेव हिस्सा 1/6 जाति हरि.ब्रा.सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। बिंदु संख्या 2 मुताबिक मिलन क्षेत्रफल सही है। वर्तमान खसरा नंबर 86 रकबा 0.04 हेक्ट. किस्म चाही 1/0.02, जाव 1/0.02 एवं खसरा न. 87 रकबा 0.20 हेक्ट. किस्म चाही 1/0.16 जाव 1/0.04 के मौके पर लगभग 40 वर्षों से मकानात बने हुए हैं। खातेदार परिवार सहित निवास कर रहे हैं। मुताबिक पर्चा खतौनी के कॉलम 2 में खसरा न.86 व 87 के नीचे आबादी अंकित है। श्रीमान ए.एस.ओ. साब के आदेश दिनांक 20-03-1987 के निर्णय में उक्त खसरा नंबरान 86/0.04 87 / 0.20 को गैर मुमकिन आबादी में दर्ज करने के आदेश है।

पत्रावली में बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे के वादीगण ग्राम बम्बाला, पटवार हल्का श्योपुर तह0 सांगानेर में स्थित हाल खसरा नम्बर 86 रकबा 0.04 हेक्टेयर व 87 रकबा 0.20 हेक्टेयर की किस्म पुनः आबादी दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्ती की जावे।

बहस वादीगण, प्रतिवादी तहसीलदार सांगानेर एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादीगण की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम बम्बाला, पटवार हल्का श्योपुर तह0 सांगानेर में स्थित हाल खसरा नम्बर 86 रकबा 0.04 हेक्टेयर व 87 रकबा 0.20 हेक्टेयर की किस्म चाही 1 व जाव 1 की जगह आबादी दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),

जयपुर